संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक/आई.डी.एस.पी./2020/1716 भोपाल, दिनांक 03.10.2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर
मध्यप्रदेश।

विषय– पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट हरिद्वार को इन्दौर के कोविड केयर सेन्टर में अनुसंधान के संबंध में।

संदर्भ– सचिव आयुष/नस्ति क्रमांक/2020/54 दिनांक 16.07.2020

--00--

उपरोक्त विषयान्तर्गत पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के आवेदन के अनुक्रम में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा अनुसंधान हेतु प्राप्त मार्गदर्शिका एवं मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप शोध बावत अनुमति पत्र क्रमांक–कोविड–19/8/यो./2020/1535–44, भोपाल, दिनांक 18.06.2020 से विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त अनुमति के संबंध में आवेदक संस्था को वर्तमान में इन्दौर जिलें में एक कोविड केयर सेन्टर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाली औषधियों को कोविड–19 के मरीजों को प्रदाय कर अध्ययन अनुसंधान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 21.04.2020 एवं संस्था को दिये गये पत्र क्रमांक –कोविड–19/8/यो./2020/1535–44, भोपाल, दिनांक 18.06.2020 के अधीन होगी।

अतः इन्दौर जिले हेतु एक कोविड केयर सेन्टर इस कार्य हेतु आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– 1. पत्र क्रमांक/COV19/8/योजना/2020/1535/44 भोपाल दिनांक 18.06.2020
2. भारत का राजपत्र सख्या 107 नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2020 /बैशाख 1, 1942 असाधारण भाग एक, खण्ड एक

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

निरंतर.....

पृ. क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1717 भोपाल, दिनांक 03 .10.2020

प्रतिलिपिः— कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. सचिव सह आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग।
4. संभागायुक्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
6. संचालक स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर मध्यप्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर।
9. प्रभारी कोविड—19 कंट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।
10. उप संचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

(प्रदर्श-अ)

संचालनालय आयुष, म.प्र.

(भूतल ''डी'' विंग, सतपुडा भवन, भोपाल–462004)

E-mail:yojnaayush.mp.@mp.gov.in		Office (0755)2763044
www.ayush.mp.gov.in		Fax (0755)2760225,

क्रमांक /Co.19/ 8 / योजना / 2020 / 1535–44 भोपाल, दिनांक:- 18/ 06 / 2020

प्रति,

श्री अनुराग वार्ष्णेय,
उपाध्यक्ष
पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट,
पतंजलि योग पीठ ट्रस्ट
हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

विषयः– Indian Traditional Ayurvedic Treatment Regime For Novel Coronavirus, COVID-19 के संबंध में शोध की अनुमति दिये जााने बावत्।

संदर्भः– पतंजलि रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट का पत्र दिनांक 19.05.2020 एवं कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठता शासकीय स्वशासी संस्था महत्मा गॉधी स्मृती चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर का पत्र क्रमांक 9539 दिनांक 21.05.2020

—::—

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके द्वारा संदर्भित प्रस्ताव चिकित्सा शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसका आयुष विभाग की राज्य स्तरीय प्रस्ताव परीक्षण समिति द्वारा परीक्षण किया गया उक्त समिती की अनुशंसा के आधार पर कोविड केयर सेंटर में औषधी परीक्षण की अनुमति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान की जाती है।

1. यदि यह नैदानिक परीक्षण है, तो परियोजना को सीटीआरआई के साथ पंजीकृत होना चाहिए।
2. नमूने का आकार सांख्यिकीय औचित्य पर आधारित होना चाहिए।
3. नैदानिक अनुसंधान अथवा आईसीएमआर दिशानिर्देशों के लिए बनाए गए आयुष दिशा निर्देशों के अनुसार नैदानिक अनुसंधान आयोजित किया जाना चाहिए।
4. जैव–चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए प्रासंगिक नियमों का अनुपालन किया जावेगा।
5. अच्छे नैदानिक अभ्यास दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा।
6. आईसीएमआर द्वारा प्रकाशित मानव भागीदारी पर जैव–चिकित्सा और स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जावेगा।
7. किसी अन्य प्रवृत्त प्रासंगिक नियमों का अनुपालन किया जावेगा।
8. प्रत्येक स्थल पर आयुष पंजीकृत चिकित्सक / विशेषज्ञ अध्ययन दल का हिस्सा होना चाहिऐ, जिसकी सूचना आयुष आयुक्त संबंधित जिले के कलेक्टर सी.एम.एच.ओ. तथा जिला आयुष अधिकारी को दी जावेगी।
9. कोविड–19 के प्रकरणों में अनुसंधान करने वाले संस्थाओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि शोध के सकारात्मक परिणामों को आमजन के उपयोग में ही लाया जावेगा तथा धनार्जन हेतु इसका उपयोग नहीं किया जावेगा। अध्ययन के दौरान के परीणामों से समय–समय पर राज्य शासन एवं भारत सरकार आयुष मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा।

2.....

10. संबंधित संस्था द्वारा कोविड–19 से संबंधित डाटा एवं परिणामों के संबंध में, वह संस्था जहॉ शोध अध्ययन संचालित है, संचालनालय आयुष,राज्य शासन अथवा केन्द्रीय शासन के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था से साझा नही करेगा। बिना पूर्व अनुमति के किसी भी स्थिति में व्यावसायिक लाभ हेतु उपयोग नहीं किया जावेगा।
11. जिले स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी द्वारा की जायेगी। इसकी सूचना लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा जिला कलेक्टर को दी जायेगी।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
13. न्यायालयीन प्रकरणाों हेतु कार्यक्षेत्र भोपाल होगा।
14. आपकी संस्था को रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, बिन्दु क्रमांक 01 से 13 तक में अंकित शर्तो का पालन संस्था द्वारा किया जावेगा।

(डॉ.एम.के.अग्रवाल)
आयुक्त
संचालनालय आयुष म.प्र.

कमांक / /8/योजना/2020/ भोपाल, दिनांक /06/2020

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मान.मुख्यमंत्री जी म.प्र.शासन (प्रभारी आयुष विभाग) म.प्र.।
2. स्टाफ ऑफीसर, मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, भोपाल।
3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वा.एवं परि. कल्यांण विभाग, म.प्र.।
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
5. आयुक्त, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, म.प्र.।
6. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र.।
7. डॉ. उमेश शुक्ला, प्रधानाचार्य प.खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल एवं अध्यक्ष राज्य स्तरीय समिति।
8. डॉ.पी.सी.शर्मा, उप.संचालक संचालनालय आयुष म.प्र.।
9. डॉ.राजीव मिश्रा, नोडल अधिकारी कोविड केयर संचालनालय आयुष म.प्र.।

आयुक्त
संचालनालय आयुष म.प्र.

(पुदर्शी - ब)

ओउम्

पतंजलि रिसर्च फाउण्डेशन ट्रस्ट
Patanjali Research Foundation Trust

क्रमांक S.No.: PRFT/DU/0720/0164

दिनांक Dated: ....

July 02, 2020

To
Commissioner, AYUSH
Department of Ayush
Government of Madhya Pradesh
Directorate of Ayush, Ground Floor "D" wing
Satpura Bhawan,
Bhopal 462004.
Madhya Pradesh

Respected Sir,

As per your letter dated June 18, 2020 for your kind permission to conduct controlled clinical trials of Ayurvedic medicines for COVID-19 in Madhya Pradesh, we are very much thankful for your supports and approval to our proposal. We have also sent the notarized affidavit as per your advice on 19th June 2020.

We would now request if you could allot us the clinical sites/ hospitals/medical colleges for these clinical trials across Madhya Pradesh. To start with, Bhopal and Indore could be the first choice of cities. We would however welcome your suggestions and would accept your suggested sites. Our team of Ayurvedic practitioners will be helping in conducting these trials, along with modern medical doctors available at the trial site(s).

We look forward to your kind support in starting these clinical trials.

Jai Hind.

02/July/2020

Patanjali Research Foundation (Drug Discovery & Development Division) Haridwar

Dr. Anurag Varshney
Vice President
Patanjali Research Institute, Haridwar

363/20

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-UK72739345454566S
Certificate Issued Date	:	19-Jun-2020 09:59 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1203704/ JWALAPUR/ UK-HD
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK120370448340365407647S
Purchased by	:	PATANJALI RESEARCH FOUNDATION TRUST
Description of Document	:	Article Miscellaneous
Property Description	:	-
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	PATANJALI RESEARCH FOUNDATION TRUST
Second Party	:	NA
Stamp Duty Paid By	:	PATANJALI RESEARCH FOUNDATION TRUST
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

NOTARY
Satendra Kumar Saini
Advocate & Notary
ROORKEE
Distt. Haridwar (UK)
Regd No-2939/05
GOVT. OF INDIA

PRAMOD KUMAR
Stamp Vendor
Lic. No. 102/97
Tehsil Campus Haridwar

-----Please write or type below this line-----

शपथ पत्र

Indian Traditional Ayurvedic Treatment Regime For Novel Coronavirus, COVID -19 के कोविड केयर सेंटर में औषधि परीक्षण हेतु अनुमति पत्र में संदर्भित निम्नलिखित शर्तों का पालन संस्था द्वारा किया जायेगा:

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com'. Any discrepancy in the details on this Certificate and as

1. यदि यह एक नैदानिक परीक्षण है, तो परियोजना को सीटीआरआई के साथ पंजीकृत किया जाएगा।
2. नमूने का आकर सांख्यकीय औचित्य पर आधारित होगा।
3. नैदानिक अनुसंधान अथवा आईसीएमआर दिशा निर्देशों के लिए बनाए गए आयुष दिशा निर्देशों के अनुसार नैदानिक अनुसंधान आयोजित किया जायेगा।
4. जैव -चिकित्सा और स्वास्थय अनुसंधान के लिए प्रासंगिक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
5. अच्छे नैदानिक अभ्यास दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
6. आईसी एम आर द्वारा प्रकाशित मानव भागीदारी पर जैव - चिकित्सा और स्वास्थय अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नैतिक दिशा दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
7. किसी अन्य प्रवृत्त प्रासंगिक नियमों का अनुपालन किया जायेगा।
8. प्रत्येक स्थल पर आयुष पंजीकृत चिकित्सक/विशेषज्ञ अध्यन दल का हिस्सा होगा, जिसकी सूचना आयुष आयुक्त संबधित जिले के कलेक्टर सी.एम.एच. ओ. तथा जिला आयुष अधिकारी को दी जायेगी।
9. कोविड - 19 प्रकरणों में अनुंसधान करने वाले संस्थाओ को यह सुनिश्चित किया जायेगा, कि शोध सकरात्मक परिणामों को आमजन के उपयोग में ही लाया जाएगा तथा धनार्जन हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अध्यन के दौरान के परिणामों से समय - समय पर राज्य शासन एवं भारत सरकार आयुष मंत्रालय को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
10. संस्था द्वारा कोविड - 19 से संबंधित डाटा एवं परिणामों के संबंध में, जहॉ शोध अध्यन संचालित है, संचालनालय आयुष, राज्य शासन अथवा केंद्रीय शासन के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था

से साझा नहीं करेगा तथा बिना पूर्व अनुमति के किसी भी स्थिति में व्यवसायिक लाभ हेतु उपयोग नहीं जायेगा।

11. जिले स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी तथा जिला आयुष अधिकारी द्वारा की जायेगी। इसकी सूचना लोक स्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा जिला कलेक्टर को दी जायेगी।

12. किसी भी विवाद की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

13. न्यायालयीन प्रकरणों हेतु कार्यक्षेत्र भोपाल होगा।

14. उपरोक्त अंकित बिंदु क्रमांक 01 से 13 तक में अंकित शर्तों का पालन संस्था द्वारा किया जायेगा।

NOTARY
Satendra Kumar Saini
Advocate & Notary
ROORKEE
Distt Haridwar (U.K.)
Regd No-2939/05
GOVT. OF INDIA

(डॉ. अनुराग वार्ष्णेय)
उपाध्यक्ष
पतंजलि रिसर्च इंस्टिट्यूट
(पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित)

ATTESTED
19/6/20
Satendra Kumar Saini
Advocate & Notary
Distt. Haridwar (U.K.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश
E-mail : idspssu@mp.gov.in, Phone : 0755-4094192

क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1716 भोपाल, दिनांक 03.10.2020

प्रति,

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर
मध्यप्रदेश।

विषय– पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट हरिद्वार को इन्दौर के कोविड केयर सेन्टर में अनुसंधान के संबंध में।

संदर्भ– सचिव आयुष / नस्ति क्रमांक / 2020 / 54 दिनांक 16.07.2020

––00––

उपरोक्त विषयान्तर्गत पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ट्रस्ट के आवेदन के अनुक्रम में भारत सरकार, आयुष मंत्रालय द्वारा अनुसंधान हेतु प्राप्त मार्गदर्शिका एवं मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप शोध बावत अनुमति पत्र क्रमांक–कोविड–19 / 8 / यो. / 2020 / 1535–44, भोपाल, दिनांक 18.06.2020 से विभिन्न शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई थी। उक्त अनुमति के संबंध में आवेदक संस्था को वर्तमान में इन्दौर जिलें में एक कोविड केयर सेन्टर में रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि करने वाली औषधियों को कोविड–19 के मरीजों को प्रदाय कर अध्ययन अनुसंधान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

उक्त अनुमति आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 21.04.2020 एवं संस्था को दिये गये पत्र क्रमांक –कोविड–19 / 8 / यो. / 2020 / 1535–44, भोपाल, दिनांक 18.06.2020 के अधीन होगी।

अतः इन्दौर जिले हेतु एक कोविड केयर सेन्टर इस कार्य हेतु आवंटित किया जाना सुनिश्चित करें।

संलग्नः– 1. पत्र क्रमांक / COV19 / 8 / योजना / 2020 / 1535 / 44 भोपाल दिनांक 18.06.2020
2. भारत का राजपत्र सख्या 107 नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 21, 2020 / बैशाख 1, 1942 असाधारण भाग एक, खण्ड एक

अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा अनुमोदित।

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश

निरंतर.....

पृ. क्रमांक / आई.डी.एस.पी. / 2020 / 1717 भोपाल, दिनांक 03 .10.2020

प्रतिलिपिः— कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।
3. सचिव सह आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग।
4. संभागायुक्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
5. मिशन संचालक, एन.एच.एम. अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल।
6. संचालक स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल, मध्यप्रदेश।
7. क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर मध्यप्रदेश।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, इन्दौर।
9. प्रभारी कोविड—19 कंट्रोल रूम, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।
10. उप संचालक, आई.टी. शाखा, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाये, मध्य प्रदेश।

अपर संचालक (आई.डी.एस.पी.)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश